*दोराहे पर भारतीय बैंकिंग- वैश्वीकरण से वित्तीय समावेशन तक जोखिम प्रबंधन की चुनौती**

आर. गांधी

श्री शैलेश वैद्य, अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मंडल (आईएमसी), श्री चंदन भट्टाचार्य, अध्यक्ष वित्त एवं बैंकिंग समिति, आईएमसी और आईएमसी की इस राष्ट्रीय गोष्ठी के गणमान्य प्रतिभागियों को जोशीला सांध्य नमस्कार। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि आईएमसी द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय गोष्ठी में मुझे विदाई भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह गोष्ठी एक ऐसा अवसर प्रदान करती है कि बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन में हुए विकास पर विचार किया जा सके, इस क्षेत्र में हाल के अनुभवों को जाना जा सके और आगे की रूपरेखा बनाई जा सके।

बैंकों में जोखिम प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है

2. अधिकतर व्यापारिक गतिविधियां या परिचालन प्रतिफलों या लाभ को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तथापि, प्रतिफलों को पाने के चक्कर में व्यापार जोखिमोन्मुखी बन जाता है। साथ ही, प्रतिफलों के लिए बढ़ती हुई चाहत से जोखिम में भी तीव्र गुणात्मक वृद्धि होने लगती है- बैंक भी इससे अछूते नहीं हैं, केवल बैंकों के व्यापार और परिचालन में जोखिम का घटक ज्यादा होता है क्योंकि वे अपना परिचालन न केवल उधार की धनराशि और अत्यधिक लीवरेज पर करते हैं वरन् वे विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं भी देने का प्रयास करते हैं।

3. बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तथापि, वित्तीय मध्यस्थता और परिपक्वता परिवर्तन कराना बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। बैंकों के पास स्थावर आस्ति प्रोफाइल की तुलना में अनिवार्यः तरल देयता प्रोफाइल होती है जिससे उनपर एक साथ भारी निकासी का खतरा बना रहता है और इस एक प्रक्रिया में ही वे विविध प्रकार के जोखिमों का या तो निर्माण करते हैं अथवा उनका समाना करते हैं। क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम तीन मूलभूत जोखिम होते हैं जिनका बैंक के निष्पादन पर असर पड़ता है। अन्य विभिन्न प्रकार के भी जोखिम होते हैं जो भीतरी अथवा बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं और बैंक को अपने दैनंदिन कार्यों में उनका सामना करना पड़ता है।

4. इसके अलावा, बैंक वित्तीय क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के साथ दुरूह रूप से जुड़े रहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली समस्या उन क्षेत्रों को बुरी तरह अस्थिर कर सकती है जो उसके साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े रहते हैं।

5. चूंकि बैंक विश्वास पर आधारित क्षमता के तहत मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह करते हैं अतः जोखिमों और प्रतिफलों के बीच संतुलन साधना महत्वपूर्ण हो जाता है और इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों को जोखिम प्रबंधन कहा जा सकता है। पूर्व के विविध वित्तीय संकटों ने बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं में मजबूत जोखिम प्रबंधन की महत्वपूर्णता को सामने ला दिया है। तथापि, बाद में प्रगतिशील प्रौद्यागिकीय विकासों और मॉडल बनाने की उन्नत तकनीकों ने जोखिम प्रबंधन को अत्यधिक जटिल और परिष्कृत विधा बना दिया है।

जोखिम प्रबंधन क्या है?

6. जोखिम प्रबंधन को जोखिम की पहचान, मापने, निगरानी और रिपोर्टिंग करने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उठाए गए जोखिमों की तुलना में प्राप्त प्रतिफल समुचित है और उठाए गए जोखिम, जोखिम प्रवृत्ति और जोखिम सहनशीलता के समनुरूप हैं। जोखिम प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और आरक्षी निधि रहे ताकि इसकी शोधन क्षमता और स्थिरता को, अल्पावधि अथवा दीर्घावधि दोनों में ही, कोई खतरा उत्पन्न न हो।

7. पूंजी को मापने के उपाय जो सामान्य तौर पर बासल समाझौता I और II हैं, वे क्रमशः 1988 और 2006 में प्रकाशित हुए थे। इनमें, पहले से ही बैंकों की पूंजी पर्याप्तता को बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए क्रेडिट के कारण पैदा होने वाले एवं जोखिम भारित आस्तियों के समतुल्य जोखिम भारित आस्तियों के साथ संयुक्त करते हुए जोखिम प्रबंधन की महत्ता पर जोर दिया गया था। अनुपात के सिद्धांतों के आधार पर, बासल II पुनः क्रमिक रूप से जटिल परंतु दुरुह जोखिम मापन और क्रेडिट, बाजार तथा परिचालन जोखिमों के संबंध में प्रबंधन पद्धतियों की ओर अग्रसर होता है जो कि संबंधित बैंकों के आकार, जटिलताओं और दुरुहताओं पर निर्भर

---

* भारतीय व्यापार मंडल द्वारा 08 मई 2014 को होटल ताज प्रेजिडेंट, मुम्बई में बैंकिंग पर आयोजित गोष्ठी के अवसर पर श्री आर.गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया विदाई भाषण। इस भाषण को तैयार करने में सुश्री अनुपम सोनल द्वारा दी गई सहायता के लिए उनका आभार स्वीकार करते हैं।

करता है। बासल II का स्तम्भ 2 और 3, स्तम्भ 1 तथा बढ़ी हुई प्रकटीकरण अपेक्षाओं के तहत भली प्रकार से कवर न हो सके अथवा मात्रागत रूप में चिहिन्त न हो सके प्रबंधकीय जोखिमों के लिए और निगरानी में बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकों का विकास करने की आवश्यकता पर बल देता है।

बैंकों में जोखिम प्रबंधन विधियों को मजबूत करने के लिए हाल ही के वैश्विक उपाय

8. वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्युत्तर में, एक एकीकृत सुधार पैकेज जिसे बासल-III के रूप में जाना जाता है, वैश्विक विनियामक प्रयास के रूप में प्रवर्तित किया गया है ताकि बैंकिंग प्रणाली को ठोस और आघात-सह बनाया जा सके। ये सुधार बैंक के जोखिम प्रबंधन के संबंध में पूंजी, चलनिधि, लीवरेज और समष्टि विवेकपूर्ण पहलुओं को देखते हैं। बासल-III, जहां एक ओर बैंकों के पास जमा हानि को सोखने वाली पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने का प्रयास करता है और पूंजी ढांचे की जोखिम कवर करने की क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य अपने सामने रखता है ताकि, विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधियों, तुलनपत्रेतर मदों में निहित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों और व्युत्पन्नी सौदों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम को कम किया जा सके। दूसरी ओर, प्रणालीगत जोखिमों का सामना करने के लिए इसने विनियम बनाए हैं और प्रचक्रीयता को सीमित करने के लिए प्रतिचक्रीय पूंजी अपेक्षाएं लागू की हैं और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के लिए एक ढांचा भी तैयार किया है ताकि अंतर-सहसंबद्धता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रबंध किया जा सके।

9. इन सुधारों के तहत बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे साधारण ईक्विटी की राशि को जनवरी 2019 तक बढ़ा कर आस्तियों के 4.5 प्रतिशत तक लाएं जो कि बासल-II के तहत अभी 2 प्रतिशत है। टिअर-1 पूंजी के लिए नई न्यूनतम अपेक्षा अब बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है। बासल-III अपेक्षाओं में जो नए घटक शामिल किए गए हैं उनमें पूंजी संरक्षण बफर और प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के रूप में पूंजी की अतिरिक्त परत (लेयर), अल्पावधि चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और दीर्घावधि ढांचागत निवल स्थायी वित्तीयन अनुपात (एनएफसीआर) के रूप में न्यूनतम चलनिधि अपेक्षाएं, जोखिम आधारित पूंजी ढांचे के सुरक्षा-कवच के रूप में लीवरेज अनुपात और जी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव, शामिल हैं। पूंजी संरक्षण बफर साधारण ईक्विटी का 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो 4.5 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा के अतिरिक्त होगा और इस प्रकार कुल साधारण ईक्विटी अपेक्षा 7 प्रतिशत होगी, यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो लाभांश भुगतान पर रोक लगाई जाएगी ताकि न्यूनतम ईक्विटी अपेक्षा को पूरा किया जा सके। वित्तीय और आर्थिक दबाव की स्थितियों में इस पूंजी बफर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के विषय में यह अनिवार्य बनाया गया है कि इसमें साधारण ईक्विटी या अन्य प्रकार की पूरी तरह से घाटे को सहने वाली पूंजी 0 प्रतिशत- 2.5 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए, यह सीमा राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू की जाएगी और इसका उपयोग उस समय किया जाएगा जब जीडीपी अनुपात की तुलना में क्रेडिट के रुझानों में काफी अंतर पाया जाएगा। बासल-III के तहत जोखिम प्रबंधन के तरीके में होने वाला आमूल-चूल परिवर्तन प्रणालीगत जोखिमों का सामना करने के लिए समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमनों को लागू कर रहा है। संकट ने यह बात सामने लाई कि कोई व्यक्तिगत वित्तीय संस्था भले ही मजबूत हो, लेकिन जब वे सबके सब अपने निजी हितों की सुरक्षा करने लगते हैं तो उनकी इन कार्रवाइयों से प्रणाली में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

10. जोखिम आधारित पूंजी ढांचे की मदद के लिए साधारण सुरक्षा-कवच सुविधा प्रदान करने के रूप में एक अंतर-राष्ट्रीय सुसंगत लीवरेज अनुपात लागू किया गया है ताकि प्रणाली में अत्यधिक लीवरेज निर्माण को रोका जा सके और इसमें बैंकों की सभी प्रकार की आस्तियों, जोखिम भारित किए बिना तुलनपत्रेतर आस्तियों सहित, के 3 प्रतिशत को हानि सोखने वाली पूंजी के रूप में शामिल किया गया है। स्तम्भ-2 और 3 के तहत पर्यवेक्षणीय समीक्षा प्रक्रिया और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए मानकों को बढ़ा कर, साथ ही साथ ठोस मूल्यांकन पद्धतियों, दबाव जांच, चलनिधि जोखिम प्रबंधन, कारपोरेट अभिशासन एवं क्षतिपूर्ति जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त दिशा-निर्देश शामिल करते हुए, बासल-II ढांचे में भी कुछ बढ़ोतरी की गई हैं। चलनिधि अपेक्षाओं में न्यूनतम चलनिधि कवरेज अनुपात(एलसीआर) शामिल होता है जिसका उद्देश्य यह होता है कि 30 दिनों की दबाव की स्थिति के दौरान वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रकार एलसीआर के तहत, बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे उच्च-गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का एक बफर रखें ताकि वे अत्यधिक अल्पावधि दबाव की परिस्थितियों में नकदी के बहिर्वाह से निपटने के लिए वे पर्याप्त हों। दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में, लगभग एक वर्ष की अवधि तक के

लिए सम्पूर्ण तुलन-पत्र में निहित परिपक्वता असंतुलनों का सामना करने के लिए एनएसफआर बनाया गया है और यह बैंकों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान करता है ताकि वे अपनी गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए स्थिर स्त्रोतों का प्रयोग करें। जी-एसआईबी के लिए प्रस्ताव दुष्कर हैं; पूंजी प्रभारों का मिश्रण, आकस्मिक पूंजी और उबरने के लिए कर्ज, इसके साथ ही सीमा-पार पर्यवेक्षण के लिए मजबूत व्यवस्थाएं और उच्चतर दुरूहता, सह-संबद्धता और जोखिम-धारिता के परिप्रेक्ष्य में संकल्प लेना; इनमें शामिल हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में आने वाली किसी प्रकार की बाधा से बचाव की आवश्यकता और नए मानकों को राष्ट्रीय कानूनों में ढालने के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकार क्षेत्रों को पर्याप्त समय मुहैया कराने के दृष्टिकोण से इन्हें पूर्णरूप में लागू करने के लिए 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2019 तक छह वर्षों की संक्रांति अवधि की अभिकल्पना की गई है।

बैंकों में जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने के लिए भारत में हाल की गतिविधियां और उभरता हुआ विनियामक माहौल

11. बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ सुविधा प्रदान करने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने भी सक्रिय और नियंत्रित तरीका अपनाया है। रिज़र्व बैंक ने प्रचक्रीयता और सह-संबद्धता दोनों से ही उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिम को सीमित करने के लिए एक सुविचारित नीति अपनाई है। उदाहरण के लिए, काफी पहले 2004 में कुछ विशिष्ट सेक्टरों में आई अत्यधिक तेजी को रोकने के लिए प्रतिचक्रीय उपाय लागू किए गए थे और पूंजी बाजार, आवास, वाणिज्यिक भू-संपदा, जैसे संवेदनशील सेक्टरों के लिए जोखिम भारों और प्रावधानीकरण के अनुपातों में उस समय वृद्धि की गई थी जब इन क्षेत्रों में बुलबुले का निर्माण हो रहा था। जहां एक ओर बैंकों के साथ सह-संबद्धता कम करने के लिए प्रयास किए गए थे वहीं दूसरी ओर बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के बीच और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम के फैलाव को रोकने के लिए पूंजी बाजार में निहित एक्सपोजरों को कम करने के लिए भी विनियामक सीमाएं लगाई गई थीं। इस प्रकार की समष्टि विवेकपूर्ण पद्धतियां जो कि उस समय प्रचलन में नहीं थीं, उन्होंने संकट की पराकाष्ठा के दौरान प्रतिकूल झटकों से घरेलू अर्थव्यवस्था को बचा लिया था।

12. भारत में बासल-II को लागू करने के लिए स्तरीय पद्धति अपनाई गई थी और उसे देश की विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

बासल-III

13. भारत में बासल-III पूंजी विनियमनों को लागू करने की प्रक्रिया 01 अप्रैल 2013 से प्रारंभ हो चुकी है; और इसे भी चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा तथा 31 मार्च 2019 तक इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा जोकि बासल-III संक्रमणकालीन समझौते को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत तारीख के करीब भी है।

i. 01 जनवरी 2013 से प्रारंभ होकर 01 जनवरी 2017 तक चलने वाली समानांतर अवधि कि दौरान बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बासल समिति) द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम 3 प्रतिशत के टिअर-1 **लीवरेज अनुपात** के प्रति रिज़र्व बैंक ने समानांतर अवधि के दौरान टिअर-1 लीवरेज अनुपात न्यूनतम 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया है। बासल समिति के हालिया प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए लीवरेज अनुपात के ढांचे में संशोधन किया जा रहा है।

ii. रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से प्रभावी, **स्तम्भ 3 प्रकटीकरण अपेक्षाओं** को बढ़ा दिया है ताकि विनियामक पूंजी की पारदर्शिता में सुधार लाया जा सके और बाजार अनुशासन को बढ़ाया जा सके।

iii. 7 नवंबर 2012 को विस्तृत **चलनिधि जोखिम प्रबंधन (एलआरएम)** संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए। जनवरी 2013 में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के संबंध में बासल समिति द्वारा प्रकाशित किए गए हाल ही के दिशानिर्देशों के आधार पर रिज़र्व बैंक एलसीआर के संबंध में अपने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिन्हें शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

iv. केंद्रीय प्रतिपक्षियों में बैंकों के एक्सपोजरों के लिए पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा 02 जुलाई 2013 को जो दिशानिर्देश जारी किए गए थे, उनमें मानकीकृत **ओटीसी व्युत्पन्नी** सौदों का निपटान पात्र सीसीपी के जरिए करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है।

v. यद्यपि अभी तक किसी भी भारतीय बैंक को जी-एसआईबी की सूची में शामिल नहीं किया गया और डी-एसआईबी की अभी पहचान की जानी है। डी-एसआईबी के साथ व्यवहार करने के लिए एक ढांचे का मसौदा तैयार किया गया है जिसे 02 दिसंबर 2013 को प्रकाशित किया गया है। इसमें यह अपेक्षा की गई है कि उच्चतम प्रणालीगत महत्वपूर्णता के साथ **डी-एसआईबी** के लिए लागू सामान्य ईक्विटी पूंजी अपेक्षा को आरडब्ल्यूए का 0.8 प्रतिशत किया जाए।

vi. रिज़र्व बैंक ने मई 2012 में **प्रतिभूतिकरण** के संबंध में अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया था और न्यूनतम होल्डिंग अवधि, न्यूनतम प्रतिधारण अनुपात और उचित तत्परता संबंधी मानदंड लागू किए थे ताकि प्रवर्तकों और निवेशकों के हितों को संरेखित किया जा सके और 'स्व हित' (स्किन इन द गेम) की संकल्पना को लागू किया जा सके और 'वितरण के लिए ही प्रवर्तन' पद्धति को हतोत्साहित किया जा सके।

vii. कारपोरेट उद्यमियों के **बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र** चिंता का विषय हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत कारपोरेट के साथ ही साथ सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं। बचाव रहित एक्सपोजरों के जोखिम प्रबंधन के संबंध में और बचाव-रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र रखने वाले कारपोरेट्स के एक्सपोजरों के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण तथा पूंजी अपेक्षाओं की गणना करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में तब से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

viii. क्रेडिट जोखिम के संकेंद्रण और **अंतर-सामूहिक लेन-देनों एवं एक्सपोज़रों (आईटीई)** से उत्पन्न होने वाले बड़े घाटों से बचने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 11 फरवरी 2014 को विनियामक दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिसके द्वारा वित्तीय अंतर-सामूहिक लेन-देनों और एक्सपोज़रों तथा वित्तेतर आईटीईज़ के लिए विवेकपूर्ण उपायों को लागू किया गया है।

ix. चूंकि पुनरुज्जीवित आस्तियों के साथ ही गैर-निष्पादन आस्तियों की बढ़ती हुई मात्रा वित्तीय क्षेत्र के साथ ही साथ वास्तविक क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है अतः अर्थव्यवस्था में **दबावपूर्ण आस्ति के पुनरुद्धार** के लिए एक ढांचा बनाया गया है, जिसे 01 अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। वित्तीय दबाव की जल्दी पहचान करना, उधार-दाताओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान करना और त्वरित सुलझाव के लिए समन्वित रूप से उपाय करना और उधारदाताओं के लिए समुचित रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए इस ढांचे में दिशानिर्देश समाहित किए गए हैं। इसमें केंद्रीकृत रिपोर्टिंग और बड़े उधारों के बारे में सूचना का प्रसारण, उधारकर्ताओं के फोरम का त्वरित गठन और समाधान पर सहमत हो जाने पर उधारदाताओं तथा कर्ज़दारों दोनों के लिए प्रोत्साहन एवं समय पर कार्रवाई न करने की सूरत में दोनों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने की संभावना पर विचार किया गया है। बड़ी मात्रा में शामिल राशि के पुनरुद्धार के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन करना, जिसका उद्देश्य व्यवहार्यता हो और प्रवर्तकों तथा उधारदाताओं के बीच लाभ एवं हानियों की उचित रूप से भागीदारी को अनिवार्य बनाना हो, जैसे सुधारों को मौजूदा पुनरुद्धार प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा, अंत में दबावग्रस्त आस्तियों की बिक्री करने, विशेष रूप से आस्ति पुनरुद्धार कंपनियों के संबंध में और अधिक लचीली विनियामक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। गैर-बैंक उधारदाताओं को भी इसकी परिधि में लाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इसकी प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके।

x. बासल समिति ने मई 2009 में ठोस दबाव जांच पद्धतियों और पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत जारी किए थे। इन सिद्धांतों के अनुरूप, **दबाव जांच** के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया है। दबाव जांच, जो कि भविष्योन्मुखी होती है, से आशा की जाती है कि वह कीमत-बनाम-जोखिम (वीएआर) और आर्थिक पूंजी तथा अनुषंगी जोखिम प्रबंधन जैसे अन्य तरीकों; जो कि जटिल गणितीय नमूनों पर आधारित होते हैं और उन्हें पृष्ठोन्मुखी डेटा और अनुमानित सांख्यिकीय सम्बन्धों का उपयोग करते हुए निकाला जाता है; की तुलना में एक अनुषंगी और स्वतंत्र जोखिम दृष्टिकोण प्रदान करेगी।

xi. पूंजी बफर, का निर्माण करने के उद्देश्य से, जिसे बैंकिंग क्षेत्र के व्यापक समष्टि- विवेकपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा अर्थात् अत्यधिक क्रेडिट संवृद्धि के दौर में अनाप-शनाप उधारियां देने से रोकने के लिए, जिनसे प्रणालीगत जोखिम पैदा होने का खतरा बना रहता है, को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि भारत में बैंकों के लिए एक **प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी)** ढांचा बनाया जाए। भारत में सीसीसीबी ढांचे का प्रस्तावित मसौदा, जीडीपी की तुलना में क्रेडिट डिलीवरी में अंतर और सकल गैर-निष्पादन आस्तियों में हुई संवृद्धि जैसे अन्य संकेंतकों के आधार पर बनाया गया है। सीसीसीबी बैंक की जोखिम भारित आस्तियों के 0 से 2.5 प्रतिशत तक की एकल रेखा में वृद्धिशील होगा जो 3 प्रतिशत बिंदुओं से 15

प्रतिशत बिंदुओं के बीच के अंतर की स्थिति पर आधारित होगा।

xii. रिज़र्व बैंक बैंकिंग प्रणाली के लिए प्रावधानीकरण बफर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ऐसे समय में **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण** दृष्टिकोरण की शुरुआत करना चाहता है जब बैंक सामान्यतः लाभ कमा रहे हों ताकि इस बफर का प्रयोग गिरावट के समय हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए किया जा सके। भारत में बैंकों के लिए **डूबे हुए ऋणों के लिए गतिशील प्रावधानीकरण** ढांचे की शुरूआत करने से संबंधित चर्चा पत्र 30 मार्च 2012 को भारिबैं की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। कई निश्चित वर्ग और प्रणाली-वार आंकड़ों के संबंध में चुनिंदा बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार प्रावधानीकरण ढांचे से संबंधित व्यापक भावी उपाय तैयार किए जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण लाभ-हानि खाते में हुए नुकसान के प्रभाव को कम करेगा और बैंक इससे गिरावट के दौरान ऋण प्रदान कर सकेंगे।

xiii. रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों में समग्र जोखिम प्रबंधन संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम प्रबंधन इत्यादि पर विशेष दिशा-निर्देश जारी करने के साथ-साथ **कारपोरेट गवर्नेंस, योग्य एवं निष्पक्ष, अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारण, ऋण सूचना का आदान-प्रदान, ग्राहक सेवा** जैसे अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी समय-समय पर विनियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बैंकों में आधुनिक जोखिम प्रबंधन

14. बैंकिंग जोखिम प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान के तत्वावधान में किए गए सर्वेक्षण में जोखिम संस्कृति (कल्चर) पर दिए जाने वाले ध्यान की समीक्षा करने का उल्लेख किया गया है। इसमें दर्ज किया गया है कि जोखिम संस्कृति आजकल बहुत मुख्य विषय बन गया है और बैंकों ने वित्तीय संकट के चलते अपने जोखिम गवर्नेंस ढांचे में अमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। बोर्ड जोखिम समिति बहुत ही व्यापक है और इसके सदस्यों को जोखिम प्रबंधन में समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका बहुत बढ़ गई है, इनकी वरिष्ठता और स्तर में बढ़ोतरी हुई है। ये अब या तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं अथवा संयुक्त रूप से सीईओ और जोखिम समिति को रिपोर्ट करते हैं। तथापि, सर्वेक्षण में खेद प्रकट किया गया है कि उद्योग को पर्याप्त जोखिम पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए बोर्डरूम के बाहर और कारोबार इकाइयों में सन्निहित जोखिम संस्कृति की प्रक्रिया से जूझना पड़ता है।

15. अनेक उत्तरदाताओं ने अपनी उच्च संगठनात्मक चुनौतियों के चलते बिक्री-चालित फ्रंट-आफिस कल्चर और जोखिम-फोकस कल्चर के बीच राशि बहुत अधिक होने का उल्लेख किया है; इन्होंने प्रणाली और आंकड़ों का अभाव होने को भी नोट किया है। उनका मानना है कि दीर्घावधि में स्थाई प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उनकी संगठनात्मक जरुरत के अनुसार एक सुदृढ़ जोखिम संस्कृति को स्थापित करने के लिए और अधिक कार्य करने की जरूरत है।

16. जोखिम-वहन क्षमता जोखिम गवर्नेंस का अभिन्न भाग है, किंतु उद्योगों के समक्ष कारोबार निर्णयों में जोखिम-वहन क्षमता को शामिल करना एक चुनौती बनी हुई है। वित्तीय सेवाएं उद्योग ने वित्तीय संकट के दौरान चिह्नित किया कि बोर्ड की अपेक्षा है कि शेयर मूल्य और लाभ की तुलना में अपनी रणनीतियों में जोखिम पर अधिक ध्यान दिया जाए। मुख्य जोखिम अधिकारी को और अधिकार दिए जाएं ताकि वह अपने संगठन के भीतर सांस्कृतिक परिवर्तन ला सके।

17. इन परिवर्तनों के चलते वरिष्ठ जोखिम कार्यपालक, प्रतिष्ठा और परिचालनगत जोखिम को कार्यसूची में शामिल करने पर अधिक जोर दे रहे हैं। तथापि, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि विशेष कारोबार निर्णय जोखिम-वहन क्षमता के अनुसार लिए गए हैं और इसे प्राप्त करने के लिए वे नए प्रोग्राम लागू कर रहे हैं।

18. व्यापक जोखिम मापन मॉडल विकसित करने के लिए बैंकों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों में एक चुनौती उपलब्ध ऐतिहासिक और टाइम सीरीज़ हानि आंकड़े और गुणवत्ता, पूर्णता और उपलब्ध आंकड़ों की विश्वनीयता का आभाव होने से संबंधित है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए स्वतंत्र और समर्पित जोखिम प्रबंधन प्रकार्य के साथ-साथ विशेषज्ञता और तकनीकी निपुणता जरुरी है। जहां इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं, एचआर नीतियां और दक्ष मानव स्रोत की सीमित समुचित संख्या इस उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त करने में अननिगत चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। क्षमता और अट्रिशन दक्ष कार्मिकों को बनाए रखने की चुनौतियों को और बढ़ा देता है।

भारतीय बैंकों का जोखिम प्रबंधन में वर्तमान अनुभव

19. इस दिशा में विनियामक उपायों और बैंकों के वैयक्तिक प्रयासों ने भी पिछले कई वर्षों में भारतीय बैंकों के जोखिम प्रबंधन मानकों में सुधार किया है। 1991 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संरचनागत सुधार की शुरूआत होने से भारतीय बैंकों की पहुंच और कारोबार की मात्रा में कई गुना वृद्धि हुई है; परिचालनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। भारतीय बैंकों का वर्तमान पूंजी आधार और चलनिधि स्थिति बासल III के शुरूआती दौर की तुलना में आम तौर पर सुखद स्थिति में है। जोखिम भारित आस्ति अनुपात की तुलना में पूंजी और भारतीय बैंकों की कोर सीआरएआर दोनों 31 मार्च 1997 को क्रमशः10.42 प्रतिशत और 9.24 प्रतिशत रही और जो बासल II के तहत विनियामक जरुरत क्रमशः 9 प्रतिशत और 6 से अधिक रहीं। 31 मार्च 2013 को सीआरएआर और कोर सीआरएआर क्रमशः 13.88 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत थी। इस प्रकार, भारतीय बैंक बासल III में जाने की प्रक्रिया के समय से ही सुदृढ़ स्थिति में थे। तथापि, आगे अनेक चुनौतियां अभी भी हैं और हम जल्द ही इनका समाधान कर लेंगें।

20. बैंक की स्थिति मापने के लिए आस्ति गुणवत्ता बहुत ही महत्त्वपूर्ण मापदंड है और आस्ति गुणवत्ता से जुड़ा प्रावधानीकरण कवरेज है जो बैंकों में तनावग्रस्त आस्तियों की तुलना में रखा जाता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आस्ति गुणवत्ता में विवेक सम्मत मानदंड़, सरफासी (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, सीडीआर व्यवस्था, ऋण सूचना कंपनियों इत्यादि के आने से काफी सुधार हुआ है। जीएनपीए अनुपात 1996-97 के 15.7 प्रतिशत के घटकर 2010-11 में 2.35 प्रतिशत रह गया। तथापि, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान आई गिरावट और उसके पश्चात पश्चिम में अनेक उन्नत देशों से प्रतिवात (हेडवाइंड) के चलते मार्च 2012 में जीएनपीए बढ़कर 2.94 प्रतिशत हो गया और मार्च 2013 में बढ़कर 3.42 प्रतिशत हो गया। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2013 को जीएनपीए अनुपात 4.47 प्रतिशत रहा था। सकल अग्रिम की तुलना में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों का अनुपात मार्च 2013 के अंत में 5.8 प्रतिशत रहा ।

21. भारत में विदेशी बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2009 तक दो चरणों में बासल II के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया था। बड़े आकार वाले भारतीय बैंक और विदेश में शाखाएं रखने वाले बैंकों को ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी की गणना करने के लिए बासल II के उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 14 बैंकों जिन्होंने ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग्स आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए आवेदन दिए हैं, में से 7 बैंकों को पैरलल रन का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। परिचालनगत जोखिम के अंतर्गत पैरलल रन का अनुमोदन मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दो बैंकों को प्रदान किया गया है, 13 बैंकों जिन्होंने आवदेन किया था, उनमें 10 बैंकों ने अभी तक उन्नत मापन दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अपना इच्छा जाहिर की है, उनमें से चार बड़े आकार वाले बैंक जिन्होंने इस संबंध में प्रारंभिक सहमति प्रदान की थी, की जांच विभिन्न स्तर पर की जा रही है। बाजार जोखिम के संबंध में, 8 बैंकों ने आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण अपनाने की इच्छा जाहिर की है।

22. तथापि, किसी कारपोरेट संस्था की तरह बैंक परिचालनों का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अन्य पक्ष वाणिज्यिक पक्ष अर्थात लाभप्रदता का प्रबंधन है। कारपोरेट की तरह बैंकों में लाभप्रदता सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, संस्था के स्वास्थ्य और सुदृढ़ता को दर्शाती है और इसका सीधा संबंध इसके पूंजी निर्माण क्षमता से होता है। दूसरी, तरफ, यदि बैंकों की रणनीतियां, कारोबार माडल, योजना और परिचालन और जोखिम प्रबंधन कमजोर, अप्रयुक्त अथवा अप्रचलित अथवा समष्टि आर्थिक परिवेश के अनुसार नहीं हैं तो उनकी आय या तो कम हो होगी अथवा उन्हें नुकसान होगा। लाभप्रदता बैंक द्वारा अपनाए गए कारोबार माडल, आस्ति आधार की गुणवत्ता और प्रकार के साथ-साथ परिचालनगत कुशलता और अपनी रणनीतियों और नीतियों में किए गए सकारात्मक परिवर्तनों पर आधारित होती है। किसी बैंक के जोखिम प्रोफाइल का आकलन काफी हद तक उसकी आय और व्यय विवरण से भी किया जा सकता है। तथापि, जोखिम प्रबंधन और लाभप्रदता प्रबंधन के उद्देश्य के एलाइनमेंट पर फिलहाल अधिक जोर नहीं दिया जा रहा है।

23. चूँकि बैंकों की लाभप्रदता अथवा उनकी आय व व्यय की योजनाएं तथा निर्णय सीधे-सीधे पूंजी-पर्याप्तता एवं ऋण शोधन-क्षमता तथा स्थिरता व सुदृढ़ता के संबंध में विनियामक चिंता के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए बैंकों तथा पर्यवक्षकों के लिए ज़रुरी है कि वे आय और व्यय के घटकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें।

आय और व्यय के विभिन्न स्त्रोतों का अच्छी तरह से विश्लेषण एवं उनकी तुलना, बैंक को उसके कारोबार के रुख, संरचना तथा लाभ के स्थायित्व के बारे में गहन जानकारी प्रदान करती है और उनके तुलनपत्र को पुनः संतुलित करने/संरचना को दुबारा बनाने के लिए दिशनिर्देशों के सिद्वांत के रूप में कार्य करती है। इससे बैंक को अधिकतम आय कमाने, लागत एवं व्यय को युक्तिपरक बनाने का न केवल अवसर प्राप्त होता है बल्कि भीतरी तौर पर परिवर्तन करते तथा अपने कारोबार की डिज़ाइन/मॉडल को उद्योग अथवा वर्तमान एवं लाभप्रद बाजार प्रथाओं का अनुसार विविध स्वरूप देने की पहल करने में सहायता प्रदान करता है।

भावी मार्ग

24. जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है कि पिछले लंबे समय में और खासतौर से विश्व के वित्तीय संकट से जो सबको हासिल हुआ है, उसे देखते हुए बैंकों ने जोखिम प्रबंधन कि प्रथाओं को बेहतर बनाने कि दिशा में प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि, अभी भी बहुत सा कार्य किया जाना शेष हैः

i. बैंकों को जोखिम अभिशासन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें बोर्ड को जोखिमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, खासतौर से संबंधित बैंकों के बारे में और जोखिम प्रबंधन के लिए बनाई जाने वाली उपयुक्त नीतियों एवं रणनीतियों में पूरी तरह सहभागिता होनी चाहिए। इस प्रयोजन से, जोखिम उठाने की भूख तथा जोखिम वहन करने की क्षमता का स्तर स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, जिसके लिए संभावित आंतरिक एवं बाहय जोखिम वातावरण के संबंध में पिछले अनुभवों और भावी दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

ii. एक स्वतंत्र जोखिम, प्रबंधन प्रणाली हो जिनका प्रमुख मुख्य जोखिम अधिकारी हो और जिसे पर्याप्त स्वतंत्रता एवं हैसियत दिया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि बोर्ड के स्तर की जोखिम समितियां तथा आंतरिक एवं बाह्य लेखा-परीक्षा/समीक्षा के रूप में स्वतंत्र चुनौतीपूर्ण कार्य वास्तविक रूप से कर रही हैं और उन्हें अपेक्षित समझ हो, उन्हें स्त्रोतों तथा अपने दायित्व को सार्थक तरीके से निभाने के लिए कैसे कम किया जाता है, की जानकारी होनी चाहिए।

iii. बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्हें जोखिम प्रबंधन नीतियों, जोखिम उठाने की भूख एवं जोखिम-वहन क्षमता का विवरण, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं तथा कॉर्पोरेट स्तर पर उनकी समुचित जानकारी तथा अनुपालन के लिए प्रेरित करना चाहिए।

iv. इन प्रयासों के साथ एक तीव्र प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफोर्म हो ताकि बोर्ड एवं शीर्ष प्रबंधनतंत्र को बैंक के संबंध में जोखिम संबंधी संपूर्ण जानकारी समय पर, भरोसेमंद तरीके से दी जा सके जिससे कारगर निर्णय लिए जा सकें और निर्णयात्मक कारवाई हो सके।

v. जोखिम प्रबंधन की गुणवत्ता तथा निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए 'एम्बेडेडनेस' अथवा 'यूज टेस्ट' जो मात्रात्मक मॉडल में इनपुट के लिए तथा उससे आउटपुट लेने को अपरिहार्य बनाता है, को और प्रोत्साहित किया जाए।

vi. मात्रात्मक मॉडल पर ज्यादा भरोसा करने से छोटे-छोटे जोखिमों का मूल्यांकन बहुत सही नहीं होगा इसलिए जरूरी हो कि जोखिम का मूल्यांकन करने एवं प्रबंधन करते समय विशेषज्ञों कि राय अवश्य ली जाए। मॉडल-आधारित जोखिम मूल्यांकन के पूरक के रूप में दबाव-जांच, तथा रिवर्स-दबाव जांच और बैक-टेस्टिंग भी अच्छी तरह से कि जाए।

25. अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बैंकों में जोखिम-प्रबंधक के बारे में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट ए.टी. किअरनी कि बातों का उल्लेख करना चाहूँगा। उनका मानना है कि बैंक में इस समय जोखिम प्रबंधन का जो ढांचा है वह मूल रूप से ऋण की तंगी और मंदी के समय के ढांचे से भिन्न नहीं है। जोखिम प्रबंधन में कतिपय कारोबारी कुशाग्रता का अभाव है और जिसे विकास के प्रति हैंडब्रेक माना जा रहा है। ए. टी. किअरनी का सुझाव है कि जोखिम प्रबंधन करने का प्रतिफल यह है कि उसे नज़रअंदाज़ न किया जाए या यह विश्वास करके चलना कि उस जोखिम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा - ही उसका इलाज है। मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता।

संदर्भः

1. भारत में बैंकिंग कि प्रवृति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2012-13

2. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद और डेलोयट द्वारा मुंबई में 23 अगस्त 2012 को आयोजित जोखिम एवं अभिशासन सम्मेलन में 'जोखिम अभिशासन का परिदृश' विषय पर आनंद सिन्हा का संबोधन।

3. 24 अगस्त, 2011 को मुंबई में 'विश्व बैंकिंगः भारी बदलाव' विषय पर आयोजित फिक्की-आईबीए सम्मेलन में विनियामक चुनौतियां और दुविधाओं पर चिंतन के बारे में आनंद सिन्हा का संबोधन।

4. हेन्नी वैन ग्रेयुनिंग, सोनजा ब्रायजोविक ब्राइटनोविकः बैंकिंग जोखिम का विश्लेषणः कंपनी अभिशासन और वित्तीय जोखिम प्रबंधन के मूल्यांकन की एक संरचना।

5. वित्तीय सेवाओं का पुननिर्माण से संबंधित ईवाय सर्वक्षण - संकट के पांच वर्ष बाद जोखिम प्रबंधन

6. ए.टी. किअरनी के 'जोखिम प्रबंधन के सात सिद्वांत'

7. वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय समूह (2008), 'हाल की बाजार अस्थिरता के दौरान जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में निष्कर्ष'

8. विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (2010), 'बैंक अभिशासनः वित्तीय संकट से सबक, नोट, संख्या 13।

9. तीस का समूह, वित्तीय, संस्थाओं के प्रभावी अभिशासन कि दिशा में ।